



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बन्धन/1225/1241/16
दिनांक: 07-11-16

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

महोदय एम० एड० अम्बेडकर विश्वविद्यालय
सम्बन्धन/1225/1241/16
आगरा (AGRA)

विषय:- एन०सी०टी०ई० रेगुलेशन 2014 के प्राविधानों का एम०एड० पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली संस्थाओं में अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1168/सत्तर-6-2016-59/2016 दिनांक 20 जुलाई, 2016 के द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा निर्गत Public Notice दिनांक 2 जून, 2016 का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया गया है कि विश्वविद्यालय से सम्बन्ध M.Ed. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय N.C.T.E. Regulation 2014 क अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित मानकानुसार अहर्ष शिक्षकों का चयन कर दिनांक 31.12.2016 तक अनुमोदन करा लें, तथा अनुमोदित शिक्षकों की सूची एवं अन्य अभिलेख राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना है।

अतः शासन के उक्त पत्र के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित अर्हता धारित शिक्षकों का विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराकर समस्त अभिलेख शपथ पत्र सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दें जिसे N.C.T.E., जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय

कुलसचिव
[Signature]

प्रतिलिपि:- 1. सचिव, कुलपति जी को सूचनार्थ।

2. वेबसाइट प्रभारी को इस आशय से प्रेषित की वेबसाइट पर उक्त पत्र को अपलोड करने का कष्ट करें।।

कुलसचिव
[Signature]

AL